अनुदान संख्या 49 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 49 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*100*	*100*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4611,89,00			
			4611,94,00	4531,03,53	-80,90,47
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				71,34,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	622,36,00			
			622,42,00	342,92,16	-279,49,84
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				278,06,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	36550.00			
			34906.21	34907.15	+0.94
पु.	R.	-1643.79			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	15992.00			
			15245.00	15233.76	-11.24
पु.	R.	-747.00			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	64047.00			
			56880.55	56814.42	-66.13
पु.	R.	-7166.45			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	32285.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1528. 85	30757.15	30545.11	-212.04
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	24621.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1581.20	26203.20	26203.19	-0.01

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "2545" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2545" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	464.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	932.86	1397.86	1385.99	-11.87
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	10416.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-2036.43	8380.57	8394.79	+14.22
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	68007.00	75900.71	75833.82	-66.89
पु.	R.	7893.71			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	19198.00	15281.63	15264.56	-17.07
पु.	R.	-3916.37			
मुख्य शीर्ष "3052" पोत परिवहन	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	49790.00	49382.58	49380.78	-1.80
पु.	R.	-407.42			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	7252.00	8242.20	8241.78	-0.42
पु.	R.	990.20			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	13709.00	7046.79	7047.45	+0.66
पु.	R.	-6662.21			
मुख्य शीर्ष "3225"	Major Head "3225"				
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services				
मू.	O.	12800.00	20500.00	20500.00	..
पु.	R.	7700.00			

(I) ₹1961.00 लाख का प्रावधान अठाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1300.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला तथा अन्य सड़कें – ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता – पंचायत समिति" के अंतर्गत पंचायत समितियों को समाप्त किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1961.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty eight heads; of these ₹1300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3054" - "District and Other Roads - Assistance to Block Panchayats/Intermediate Level Panchayats - Panchayat Samiti" - due to abolition of Panchayat Samities.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" – "जिला पुलिस – जिला पुलिस स्थापना" के अंतर्गत ₹1632.00 लाख की बचत (₹19319.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "2055"- "District Police - District Police Establishment" - saving of ₹1632.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19319.00

कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा एलटीसी दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – निष्पादन" के अंतर्गत ₹958.32 लाख की बचत (₹8958.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "आरंभिक शिक्षा – सरकारी प्राथमिक विद्यालय – प्राथमिक शिक्षा" – ₹4830.96 लाख की बचत (₹31814.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने तथा एलटीसी दावे प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – सरकारी कॉलेज और संस्थान – जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर" – ₹1140.70 लाख की बचत (₹3475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, एलटीसी दावे प्राप्त न होने तथा छात्रवृत्ति/वृत्तिका के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता – पंचायत समिति" – ₹2131.10 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पहले ली गई अनुदानों का उपयोग न किए जाने तथा पंचायत समितियों को समाप्त किए जाने के कारण हुई।

lakhs) was due to freezing of dearness allowance and receipt of less LTC claims owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "2059" - "General - Direction and Administration - Execution" - saving of ₹958.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8958.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - saving of ₹4830.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31814.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts and non-receipt/receipt of less LTC claims owing to COVID-19 pandemic.

(B) "University and Higher Education - Government College and Institutes - Jawaharlal Nehru Rajkeya Mahavidyalaya, Port Blair" - saving of ₹1140.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3475.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-receipt of LTC claims owing to COVID-19 pandemic and receipt of less claims for scholarship/stipend.

(V) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Assistance to Block Panchayats/ Intermediate Level Panchayats - Panchayat Samiti" - saving of ₹2131.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to non-utilization of previous grants by Panchayati Raj Institutions and abolition of Panchayat Samities.

(खा) "ग्राम पंचायतों को सहायता – ग्राम पंचायत को सहायता" – ₹581.85 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पहले ली गई अनुदानों का उपयोग नहीं किए जाने तथा आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Gram Panchayats - Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹581.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to non-utilization of previous grants by Panchayati Raj Institutions and non-receipt of applications.

(VI) मुख्य शीर्ष "3051" – "लघु पत्तन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VI) Under Major Head "3051" - "Minor Ports" - savings occurred under the following heads: -

(का) "डॉकयार्ड तथा ड्राई डोकिंग – सरकारी डॉकयार्ड" – ₹2727.14 लाख की बचत (₹8051.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण पोतों/जलयानों की यात्राएं कम होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा एलटीसी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Dockyards and Drydocking - Government Dockyard" - saving of ₹2727.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8051.00 lakhs) was due to less voyages of ships/vessels, non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance and non-receipt of LTC claims owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "स्टीवडोरिंग – अंडमान लेबर फोर्स" – ₹577.90 लाख की बचत (₹1886.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा एलटीसी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Stevedoring - Andaman Labour Force" - saving of ₹577.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1886.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and non-receipt of LTC claims owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "फैरी सेवाएं – अंतर–द्वीपीय फैरी सेवाएं" – ₹575.82 लाख की बचत (₹2669.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने और एलटीसी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Ferry Services - Inter-Island Ferry Services" - saving of ₹575.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2669.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-filling up of vacant posts and non-receipt of LTC claims owing to COVID-19 pandemic.

(VII) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – अंतरद्वीपीय पोतों का प्रचालनात्मक प्रभार" के अंतर्गत ₹3316.04 लाख की बचत (₹24350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण जलयानों द्वारा कम यात्रा किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - saving of ₹3316.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24350.00 lakhs) was due to less voyages of vessels owing to COVID-19 pandemic.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला तथा अन्य सड़कें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VIII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads" - savings occurred under the following heads: -

(का) "नगर निगम/नगर पालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद" – ₹805.46 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - saving of ₹805.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs);

(खा) "जिला परिषद्/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता – जिला परिषद" – ₹1114.87 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Assistance to Zilla Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad" - saving of ₹1114.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs); and

(गा) "ग्राम पंचायत को सहायता – ग्राम पंचायत को सहायता" – ₹3631.45 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Assistance to Gram Panchayat - Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹3631.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें आवेदन प्राप्त न होने तथा पिछले अनुदानों से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of application and utilization certificate in respect of previous grants.

(IX) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹2137.26 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 31 प्रतिशत थी।

(IX) Under six heads saving of ₹2137.26 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 31 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3890.30 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹3890.30 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹4.00 lakhs in February, 2021 under following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान समिति" – ₹739.00 लाख।

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training & Research - Allopathy - Andaman & Nicobar Islands Medical Education & Research Society" - ₹739.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर निगम/नगर पालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को बजटीय सहायता" – ₹1854.00 लाख।

(B) Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Budgetary Support to Port Blair Municipal Council" - ₹1854.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता – आपदा के लिए वार्षिक

(C) Major Head "2245" - "General - Assistance to States from National Disaster Response Fund -

व्यय" – ₹518.30 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹518.22 लाख था।

Annual Expenditure on account of Disaster" - ₹518.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹518.22 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "2515" – "जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता – जिला परिषद" – ₹779.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹778.46 लाख था।

(D) Major Head "2515" - "Assistance to Zilla Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad" - ₹779.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹778.46 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2801" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – अन्य बिजली घर – विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹7451.84 लाख का अधिक व्यय (₹37232.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीजीएसएंडडी के बकाया दावों के निपटान तथा एचएसडी ऑयल की अधिप्राप्ति, ट्रांसफार्मर, विद्युत उत्पादन के लिए एलयूबी ऑयल के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" - excess of ₹7451.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37232.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of outstanding claims of DGS&D and procurement of HSD oil, transformer, LUB oil etc. for power generation.

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – एस.सी.आई. को भुगतान" – ₹3200.27 लाख का अधिक व्यय (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयानों के संचालन और अनुरक्षण तथा अन्य संविदागत सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Payment to S.C.I." - excess of ₹3200.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards operation & maintenance of vessels and other contractual services.

(गा) मुख्य शीर्ष "3053" – "वायु सेवाएं – अन्य व्यय – वायुयान का संचालन और रख–रखाव" – ₹949.71 लाख का अधिक व्यय (₹4552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पवन हंस लिमिटेड से हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3053" - "Air Services - Other Expenditure - Operation and Maintenance of Air Craft" - excess of ₹949.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4552.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of helicopters from Pawan Hans Ltd.

(घा) मुख्य शीर्ष "3225" – "अन्य व्यय – पूंजीगत व्यय के लिए अंशदान – सेटेलाईट ट्रांसपोंडर को किराए पर लिया जाना" – ₹7700.00 लाख का अधिक व्यय (₹12800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चेन्नई – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर (ओएफसी) के संचालन तथा अनुरक्षण और सेटेलाईट

(D) Major Head "3225" - "Other Expenses - Contribution towards Capital Expenses - Hiring of Satellite Transponder" - excess of ₹7700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards operation and maintenance of Chennai - Andaman and

ट्रांसपोंडेरों के किराए के प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए बीएसएनएल के दावों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

Nicobar Island (CANI) submarine optical fiber (OFC) and settlement of claims of BSNL towards reimbursement of hiring charges of satellite transponders.

(III) छह शीर्षो के अंतर्गत ₹2407.37 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत से 195 प्रतिशत था।

(III) Under six heads excess of ₹2407.37 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 22 percent to 195 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य, शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2200.00			
			1500.00	1499.97	-0.03
पु.	R.	-700.00			
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2132.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1713.00	420.00	419.99	-0.01

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "5052"				
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	23020.00	331.75	320.37	-11.38
पु.	R.	-22688.25			

(I) ₹12502.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹12450.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पोतों की खरीद" के अंतर्गत कोविड–19 लॉकडाउन के कारण 2 अदद 500 पैक्स जलयानों की लांचिंग और स्टेज भुगतान में विलंब होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹12502.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹12450.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5052" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships" - due to delay in launching and stage payment of 2 Nos. 500 pax vessels owing to COVID-19 lockdown.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भवन" के अंतर्गत ₹700.01 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूनामी आश्रय कार्यों के संबंध में माध्यस्थम का निर्णय मिलने में विलंब के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Tribal Area Sub-Plan - Building" - saving of ₹700.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to delay in award of arbitration in respect of Tsunami shelter works.

(III) मुख्य शीर्ष "4250" – "प्राकृतिक आपदाएं – आपदाओं के प्रबंधन में तैयारी बढ़ाना" के अंतर्गत – ₹1812.01 लाख की बचत (₹1932.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूनामी सायरनों के संस्थापन के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने तथा सरकारी मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4250" - "Natural Calamities - Enhancing Preparedness in Managing Disasters" - saving of ₹1812.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1932.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for installation of Tsunami sirens and delay in procurement of Government motor vehicles.

(IV) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – टोनेज का अधिग्रहण और विस्तार – पोतों की खरीद" के अंतर्गत ₹10238.27 लाख की बचत (₹10370.00 लाख के स्वीकृत

(IV) Under Major Head "5052" - "General - Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships" - saving of ₹10238.27 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 लॉकडाउन के कारण 02 अदद 1200 पैक्स जलयानों की लांचिंग और स्टेज भुगतान में विलंब होने और सरकारी नीति में परिवर्तन होने की वजह से उच्च गति क्राफ्ट के अधिग्रहण में वैश्विक निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹676.24 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत और 72 प्रतिशत थी।

4. एक शीर्ष के अंतर्गत ₹288.40 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत था।

sanctioned provision of ₹10370.00 lakhs) was due to delay in launching and stage payment of 2 Nos. 1200 pax vessels owing to COVID-19 lockdown and non-finalization of global tender for acquisition of High Speed Craft due to change in Government policy.

(V) Under two heads saving of ₹676.24 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 66 percent and 72 percent of the sanctioned provision.

4. Under one head excess of ₹288.40 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.